# फर्द अहकाम

२१५ सहाय बनाम भगीरथ

11/2021

| आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रुप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 30/7/25 | पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली अनुसार दिनांक 2/9/25 को पेश हों। | |
| 2/9/25 | पत्रावली पेश हुई वकील अपीलार्थी उप० बहस अपील सुनी गई व स्थगन आदेश हेतु 23/9/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय) | |
| 23/9/25 | पत्रावली वास्ते आदेश अपील हेतु प्रस्तुत थी - अपील अपीलान्ट अदमपैरवी खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:48:24 IST
Reason: SelfAttested

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
अपील प्रार्थना पत्र : 129/2014
निर्णय दिनांक : 23.09.2024

1. रामसहाय पुत्र श्रवण
2. शिवनारायण उर्फ सोहनलाल पुत्र श्रवण
समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासीयान ग्राम बीलवा खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. मनी टाईम ट्रेड फिन प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक शिखर चन्द जैन पुत्र श्री कन्हैयालाल जैन निवासी ईसी–6, देव नगर, टोंक रोड जयपुर।
2. राकेश कुमार जैन पुत्र नरेन्द्र कुमार जैन निवासी प्लॉट नं. बीबी–17ए. जय अम्बे नगर, टोंक रोड़ जयपुर।
3. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तकरण नंबर 550 दिनांक 05.06.2014 ग्राम पंचायत बीलवा**

**निर्णय**

अपीलान्ट की ओर से पेश अपील का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर स्थित अन्य भूमि के साथ भूमि खसरा नंबर 1202, 1282, 1293, 1314, 1307, 1322, 1337 कुल किता 7 के संबंध में श्योप्यारी ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। जो क्षेत्राधिकार परिर्वतन के कारण सहायक कलेक्टर द्वितीय जयपुर के यहां स्थानांतरित हो गया। इस वाद में सहायक कलेक्टर द्वितीय जयपुर ने अपने निर्णय डिकी दिनांक 19.11.10 के द्वारा श्योप्यारी का वाद विधि विरूद्व डिकी कर दिया। जिसके विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील विचाराधीन है। जिसका उनवान रामसहाय बनाम श्योप्यारी पत्रावली क्रमांक 446/2010 है। इस अपील के विचाराधीन रहते हुये श्योप्यारी ने तहसीलदार सांगानेर से मिली भगत कर नामान्तरकरण नंबर 393 अपने नाम खुला लिया। जिसके विरूद्व अपीलार्थी ने अतिरिक्त कलेक्टर चतुर्थ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अतिरिक्त कलेक्टर चतुर्थ जयपुर ने अपनी आज्ञा दिनांक 04.09.2013 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। अपीलार्थी ने इस आज्ञा के विरुद्व सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो सम्भागीय आयुक्त जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 11.12.2013 के माध्यम से अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी। जिसके विरूद्व निगरानी विचाराधीन है। जिसका उनवान रामसहाय बनाम श्योप्यारी निगरानी / [illegible] 2013/6976 है। जिसमें तारीख पेशी 09. 07.2014 नियत है। इन आ[illegible]ड़ में गैर कानूनी तरीके से श्योप्यारी ने खण्ड 1 में वर्णित [illegible] विक्रय कर दी। इन विक्रय पत्रों के आधार पर ग्राम पंचायत बील[illegible] अपीलार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये एवम् कब्जे की जांच किये बिना दिनांक 05.06.2014 को नामान्तरकरण नंबर 550 रेस्पोडेन्ट्स नंब[illegible] व 2 के नाम तस्दीक कर दिया। उपरोक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 11.06.2014 को हुई, जानकारी होते ही अपीलार्थी ने नामान्तरकरण जैर अपील की नकल हेतु प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:48:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलार्थी को दिनांक 11.06.2014 को ही नकल प्राप्त हुई। दिनांक 5 व 6 जुलाई राजपत्रिक अवकाश थे। इस तरह तारिख जानकारी से नकल के दिन को शुमार करते हुए उपरोक्त अपील निम्न कारणों के साथ प्रस्तुत हैं। आज्ञा सुयोग्य ग्राम पंचायत बीलवा दिनांक 05.06.2014 पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध वस्तुस्थिति के विपरित एवम् अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत बीलवा को नामान्तरकरण तस्दीक करने का कोई क्षेत्राधिकार नही है। राज्य सरकार द्वारा जिन अधिसूचनाओं द्वारा ग्राम पंचायत को इस संबंध में अधिकार दिये है। वे अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अल्ट्रावाईरस डिक्लेयर कर दिये गये है। इस तरह ग्राम पंचायत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरकरण तस्दीक करने में क्षेत्राधिकार संबंधी भारी गलती पारित की है। वादग्रस्त भूमि पर ना तो कभी विक्रेता काबिज रही है और ना ही उनके द्वारा केता को कोई कब्जा सम्भलाया गया है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी वह उनके सह–खातेदार अरसे दराज से काबिज है। नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व कब्जे की जाँच करना आवश्यक है। बिना कब्जे की जाँच किये नामान्तरकरण तस्दीक करने में सुयोग्य ग्राम पंचायत ने कानूनी गलती की है। विकेता श्योप्यारी के हित व अधिकार अभी पूर्ण रूप से निर्धारित नही हुए है। जिस डिकी के आधार पर श्योप्यारी के नाम नामान्तरकरण खोला गया, उसके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील विचाराधीन है। जिससे उसने हित व अधिकार सबजूडिस है। अपील को विचाराधीन रखते हुये राजस्व रिकार्ड में परिर्वतन कर ग्राम पंचायत ने विधि विरूद्ध कार्य किया है। सक्षम न्यायालय में हित व अधिकारो का निर्णय होना शेष है। और यह न्याय का प्रतिवादित सिदांत है कि उभय पक्षों के हित व अधिकारों के संबंध में विचाराधीन सक्षम न्यायालय के निर्णय तक नामान्तकरण संबंधी सरसरी कार्यवाहीयों को इस्तगीत रखा जाना चाहिये। ग्राम पंचायत बीलवा ने राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील विचाराधीन रहते हुये नामान्तरकरण तस्दीक करने में कानून की स्पष्ट अवहेलना की है और क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर नामान्तरकरण तस्दीक किया है। शेष कानूनी उजात बरबकत बहस अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर और निवेदन किये जाये।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस वकील अपीलान्ट अधिवक्ता सुनी गई। दौराने अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस अपीलान्ट अधिवक्ता पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर अपील अपीलन्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (साँगानेर),

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:48:24 IST
Reason: SelfAttested